संख्या-17/2018/413/क0नि0प्र0/26-3-2018-13(74)/91

प्रेषक

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 28 मार्च 2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अंशपूंजी की मद में धनराशि (राज्यांश) द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्रांक संख्या-2872/लेखा अनुभाग/2017-18 दिनांक 14-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अंशपूंजी की मद में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 122.82 लाख (रू0 एक करोड़ बाइस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि राज्यांश के रूप में उक्त निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित की जायेगी।

3. यह अंशपूंजी रू0 100/- मूल्य के इक्यूटी शेयर्स के रूप में होगी। कृपया इतनी संख्या के शेयर श्री राज्यपाल के नाम जारी कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि चुकता अंशपूंजी के सभी शेयर जारी/आवंटित हो चुके हैं।

4. उपुर्यक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध करा दिये जायेगें। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण-5 भाग-एक अध्याय-16 ए के नियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियम लागू होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01—अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0101-उ0प्रअनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अंशकों का क्रय (के.51/रा.49-के.+रा.)-30-निवेश/ऋण के नामें □ाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 नवम्बर,2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2018/413(1)/क.नि.प्र./26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आ□ट प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,महानगर, लखनऊ।
3- सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,4&4- नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
6- नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0शासन।
8- वित्त(वित्त नियन्त्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0शासन।
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11- गा□ फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in